न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्रीमती मिथलेश मीणा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 06 / 2023 (UCM62023/26)

प्रकरण दायर दिनांक :- 26.06.2023

[illegible]

1. [illegible] पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द सामरिया
2. दिलीप पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द सामरिया
3. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द सामरिया
4. विनोद पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द

समस्त जाति खटीक निवासी कस्बा तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थिति:– 1. श्री धर्मेन्द्र शर्मा
2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक : 16.06.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित पते के रहने वाले है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा है अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाई जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं.:— 08/2023
दायर दिनांक 25.05.2023
निर्णय दिनांक :— 16.06.2023

2. यह है कि ग्राम सिंगवाडा, पटवार हल्का सिंगवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक हिगोंटिया, तहसील लवाण, जिला दौसा में कृषि भूमि नया खाता संख्या 201 पुराना खाता संख्या 199 के आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 3.41 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.38 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 हैक्टयर स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रार्थीगण काविज रह कर काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण के भाई खातेदार वृजेश पुत्र मूलचन्द सामरिया ने अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1–2 अशोक व दिलिप का जरिये रजिस्ट्रर्ड हकत्याग पत्र वेचान कर दिया है।

3. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगो की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते है और प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो ओर मिटटी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरो से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा रहे व प्रार्थीगण की फसल सुरक्षा रहे।

4. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी हो चुका है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल सुरक्षा रहे एवम् किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर श्रीमान न्यायालय के माध्यम से पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहते है।

6. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रह कर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण की भूमि व फसल की सुरक्षा कायम रह सके इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कर तारबन्दी मय पुलिस इमदाद करवाया जाना आवश्यक है।

7. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी व तारबन्दी करने मे किसी प्रकार की बाधा अथवा अडचन भी किसी भी प्रकार से नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:17 IST
Reason: Sign Requested

उप जिला कलक्टर
लवाण

8. यह है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि नया खाता संख्या 201, पुराना खाता संख्या 199 की आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 3.41 है0, खसा नम्बर 86 रकबा 0.38 है0 कुल किता—2 कुल रकबा 3.79 हैक्टयर स्थित वाके ग्राम सिंगवाडा, पटवार हल्का सिंगवाडा, भू—अभिलेख निरीक्षक हिगोंटिया, तहसील लवाण जिला दौसा का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारवन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ./2023/1347 दिनांक 02.06.2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 100, 86 रकबा क्रमशः 3.41,0.38 भूमि वाके ग्राम सिंगवाडा अशोक पुत्र मूलचन्द हि0 1/3, दिलीप पुत्र मूलचन्द हि0 4/15, राजकुमार पुत्र मूलचन्द हि0 1/3, विनोद पुत्र मूलचन्द हि0 1/5 जाति खटीक सा0 कस्बा दौसा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान 12.05.2023 को कर दिया गया है। उक्त भूमि पर आदिनांक किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त भूमि के पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाते है, तो पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है।

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 02.06.2023 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 100, 86, रकबा क्रमशः 3.41, 0.38 कुल किता—2 कुल रकबा 3.79 हैक्टयर भूमि अशोक पुत्र मूलचन्द हि0 1/3, दिलीप पुत्र मूलचन्द हि0 4/15, राजकुमार पुत्र मूलचन्द हि0 1/3, विनोद पुत्र मूलचन्द हि0 1/5 जाति खटीक सा0 कस्बा दौसा के नाम खातेदारी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान का पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:— 08 / 2023
दायर दिनांक 25.05.2023
निर्णय दिनांक :— 16.06.2023

खानवास के अनुसार दिनांक 12.05.2023 को किया गया, जहाँ मौके पर पटवारी पटवार हल्का सिंगवाड़ा, पटवारी पटवार हल्का नांगलगोविन्द एवं खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सिंगवाड़ा तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 100, खसरा नम्बर रकबा 3.41 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.38 कुल किता—2 कुल रकबा 3.79 हैक्टयर हैक्टयर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो / भू—अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगणो से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested